



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (1) NHM/QA/2018/५८५

दिनांक:- १५/१८

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)।

समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / समस्त हेत्थ मैनेजर।

विषय :- गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालन के सम्बन्ध में।

आपको विदित है कि (Quality Assurance) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता मापदण्डों का निर्धारण एवं सेवाओं का मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार करना है जिससे कि सेवाओं को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

निर्धारित समयावधि के अनुसार आपको अपने चिकित्सा संस्थान का स्वयं के स्तर पर District Quality Team (DQT- District hospital)/Internal Quality Team (IQT in CHC/SDH/APHC/MHD-CHC&PHC) के माध्यम से First Internal Assessment एवं Gap Closure दिनांक 30 जून 2018 तक पूर्ण करना है।

तत्पश्चात जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (District Quality Assurance Committee) के द्वारा जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई (District Quality Assurance Unit) से अस्पताल का Second Internal Assessment दिनांक 30 जुलाई 2018 तक करवाया जाना है। जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई द्वारा assessment पूर्ण करने के बाद जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति के माध्यम से समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों के assessment स्कोर राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई (State Quality Assurance Unit) से शेयर करने हैं ताकि राज्य स्तर द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों का External Assessment करवाया जा सके तथा भारत सरकार को चिकित्सा संस्थानों के नेशनल assessment के लिये recommendation भिजवायी जा सकें।

साथ ही उल्लेखनीय है कि Quality Assurance गार्ड लाईन के अनुसार जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (Chairperson-District Collector/CM&HO) समिति की 4 बैठकें, जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई (Chairperson-Dy. CM&HO, FW) की 12 बैठकें एवं संबंधित संस्थानों में Quality Team एवं 8 Sub-Committee को बनवाना कार्यक्रम के संचालन के लिए अतिआवश्यक है अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यावही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि एवं गार्ड लाईन के अनुसार कार्यक्रम को संचालित करें। कायाकल्प पोर्टल के भाँति QA Checklist भी इस वर्ष पोर्टल में भरी जानी है। अतः सभी चयनित स्वास्थ्य संस्थान First Internal Assessment तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई Second Internal Assessment की रिपोर्ट पोर्टल में भरवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य संस्थानों तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई को पोर्टल में रिपोर्ट भरवाने हेतु राज्य स्तर से ID & password नई माह के अन्त तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

नोट:-

1. मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध जिला अस्पतालों जयपुरियां, कांवटियां, झालावाड़, पावटा (जोधपुर), उदयपुर, बीकानेर तथा कोटा को छोड़कर समस्त जिला अस्पतालों में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
2. समस्त उप जिला अस्पतालों में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
3. 108 FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 3 मॉडल हेत्थ डिस्ट्रीक्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सज्जनगढ़ - बांसवाड़ा, मावली - उदयपुर एवं माण्डफिया - चित्तौड़गढ़) में ही यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
4. 295 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (First Phase) तथा 3 मॉडल हेत्थ डिस्ट्रीक्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सल्लोपात - बांसवाड़ा, डबोक - उदयपुर एवं बानसेन - चित्तौड़गढ़) में ही यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
5. कायाकल्प में विजेता रही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाइ - उदयपुर, बगड़-झुन्झुनू और बिसाउ-झुन्झुनू में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
6. Quality Assurance कार्यक्रम में राज्य स्तर से Certification प्राप्त किये हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमट-राजसमंद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सल्लोपात - बांसवाड़ा, सिंगोली-भीलवाड़ा और इस्लामपुर-झुन्झुनू में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
7. सैटेलाइट अस्पताल कालाकुआँ (अलवर) तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में ही यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न :- परीपत्र क्रमांक 374 दिनांक 22.01.2017

शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, इनएचएम

Email-kayakalp.raj@gmail.com

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./SIHFW।
5. समस्त जिला कलेक्टर को भेज कर लेख है कि अपने जिले की जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठक (कुल 4 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करवाए।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक एन.एच.एम।
7. निदेशक वित्त, एन.एच.एम।
8. राज्य नोडल अधिकारी, क्वालिटी ऐश्योरेन्स।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनआरएचएम।
10. समस्त संयुक्त निदेशकों को भेजकर लेख है कि अपने जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाना, उनका निरीक्षण करना एवं रिपोर्ट portal पर भरवाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति संयोजक, को भेजकर लेख है कि वे संलग्न पत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठक (कुल 4 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी: जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल को भेजकर लेख है कि वे संलग्न पत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा इन्टर्नल क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
13. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सैटेलाइट अस्पताल कालाकुड़ी (अलवर)/शाहपुरा (भीलवाड़ा) को भेजकर लेख है कि वे संलग्न पत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा इन्टर्नल क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प.क.), जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई अध्यक्ष, को भेजकर लेख है कि वह इकाई द्वारा चिकित्सा संस्थानों का प्रत्येक 6 माह में निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट portal पर भरवाना सुनिश्चित करें साथ ही जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करवाए।
15. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को भेजकर लेख है कि वे हैल्थ मैनेजर के साथ मिलकर जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाना तथा समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों की असेसमेंट रिपोर्ट portal पर भरवाना सुनिश्चित करें।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक- NUHM (Co-NUHM) को भेजकर लेख है कि जिन जिलों में हैल्थ मैनेजर नहीं है उन जिलों के समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों (आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को छोड़कर) में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों की असेसमेंट रिपोर्ट portal पर भरवाना सुनिश्चित करें।
18. समस्त हैल्थ मैनेजर को भेज कर लेख है कि जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाना, समस्त चयनित स्वास्थ्य संस्थानों (आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को छोड़कर) की असेसमेंट रिपोर्ट portal पर भरवाना सुनिश्चित करें।
19. समस्त ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि वे संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाना सुनिश्चित करें।
20. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, 108 FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/295 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (First Phase) को भेजकर लेख है कि क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
21. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सज्जनगढ़-बांसवाड़ा/मावली- उदयपुर/माण्डफिया- चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
22. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाई, बगगड और विसाऊ को भेजकर लेख है कि इन्टर्नल क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
23. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सल्लोपात - बांसवाड़ा, सिंगोली-भीलवाड़ा और इस्लामपुर-झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि इन्टर्नल क्वालिटी टीम की बैठक (कुल 12 बैठक) किया जाना सुनिश्चित करें।
24. समस्त आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के Mo-Ayush (नोडल अधिकारी Quality Assurance) को भेजकर लेख है कि वे संबंधित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं असेसमेंट रिपोर्ट पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करें।
25. उप नियंत्रक, समस्त जिला अस्पताल।
26. नर्सिंग अधीक्षक, समस्त जिला अस्पताल।
27. समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक।
28. प्रभारी सर्वर रूम।

शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम



राजस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य भवन राजस्थाने,

चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (2) NHM / QA / 2017 / ३८४

दिनांक:- १२/१२/१७

परिपत्र

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.),
समस्त आर.सी.एच.ओ.,
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक।

जैसा कि आपको विदित है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक राष्ट्रीय पहल अर्थात् "कायाकल्प पुरस्कार कार्यक्रम" (Kayakalp Programme) का वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुभारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही गुणवत्ता मापदण्डों का निर्धारण, सेवाओं का मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु भारत सरकार द्वारा "गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम" (Quality Assurance) कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिससे कि सेवाओं को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

दोनों ही कार्यक्रमों के संबंध में पूर्व में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को अवैयरनेंस तथा सर्विस प्रोवार्डर ट्रेनिंग जिला स्तर पर दी जा चुकी है। इस हेतु स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर क्वालिटी अश्योरेंस कार्यक्रम के तहत Internal Quality Team एवं कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत Infection Control Committee बनवाई गई है। दोनों ही कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा कार्य किया जाना है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दोनों ही कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने एवं आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय की स्थिति में अत्यधिक कम होने के कारण इसे गंभीरता से लिया गया है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत आयुष चिकित्सक अब नोडल अधिकारी के रूप में उक्त कार्यक्रमों को कियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।

परिपत्र के साथ दोनों ही कार्यक्रमों से संबंधित चैकलिस्ट, स्वीकृत बजट एवं कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर भेजवाये जा रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए तथा आप जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) (नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्योरेंस) / आर.सी.एच.ओ. (नोडल अधिकारी कायाकल्प) एवं संबंधित का असहयोग होने पर राज्य स्तर पर स्टेट नोडल ऑफिसर एवं कन्सलटेंट क्वालिटी अश्योरेंस एवं कायाकल्प (टेलीफोन नं. 0141-5110731 एवं Email-ID: kayakalp.raj@gmail.com) से सम्पर्क कर सकते हैं।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न - उक्तानुसार


शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, इनएचए